सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

प्रकरण संख्या:– 66 / प्रा0पत्र / 2022 दायरा दिनांक :–26.04.2022

GCMS ID–2022 / 238

उनवान

1. रामचन्द्र आ0 नाथू जाति गुर्जर निवासी ग्राम खेरखटा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
2. रामलाल आ0 नाथू जाति गुर्जर निवासी ग्राम खेरखटा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

प्रार्थीगण

बनाम

1. रामरतन आ0 हरदेवा जाति गुर्जर निवासी चौखंडिया–अबड तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
2. रामस्वरूप आ0 कंवरिया जाति गुर्जर निवासी चौखंडिया–अबड तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
3. दुर्गालाल आ0 कल्याण जाति गुर्जर निवासी चौखंडिया–अबड तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
4. मोरपाल आ0 प्रभू जाति गुर्जर निवासी चौखंडिया–अबड तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
5. मुकेश आ0 प्रभू जाति गुर्जर निवासी चौखंडिया–अबड तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र :– अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

वकील प्रार्थी :– श्री शम्भूदयाल शर्मा

वकील अप्रार्थीगण :– श्री चन्द्रप्रकाश जैन

आदेश दिनांक :–28.11.2025

प्रार्थीगण का मुख्य रूप से कथन है कि खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 223 / 361, 370 / 148, 375 / 320 कुल किता 3 कुल रकबा 1.6186 हैक्टेयर वाके ग्राम खेजडा पटवार मण्डल खेरखटा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0 में स्थित है, जो जमाबंदी संवत 2076–79 की खतोनी संख्या 48 में प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। भूमि जमाबंदी संलग्न है। कृषि भूमि खसरा संख्या 320 / 353 रकबा 1.3193 हैक्टेयर वाके ग्राम खेजडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित है जो जमाबंदी संवत 2076–79 की खतोनी संख्या 50 में प्रार्थी रामचन्द्र के नाम खातेदारी में दर्ज है। भूमि की जमाबंदी संलग्न है। कृषि भूमि खसरा संख्या 321 व 324 वाके ग्राम खेजडा पटवार मण्डल खेरखटा में स्थित है जो जमाबंदी संवत 2076–79 की खतोनी संख्या 49 में प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है। भूमि की जमाबंदी संलग्न है। प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 लगायत 3 में वर्णित भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे है। प्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 375 / 320 व खसरा संख्या 320 / 353 के पश्चिम साइड पर सिवायचक भूमि में रास्ता बना हुआ है और मौके पर बने उक्त रास्ते के बाद अप्रार्थीगण की भूमियां स्थित है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की भूमियां उक्त रास्ते से अलग–अलग बंटी हुई है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण एक ही जाति के व्यक्ति है और दोनों पडौसी काश्तकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज)

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

है। खसरा संख्या 375/320 व 320/353 के बाद पश्चिम साइड पर सिवायचक भूमि में बना रास्ता रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होने से आये दिन रास्ते की भूमि की आड में पक्षकारों के मध्य भूमि की सीमाबंदी को लेकर तनाव व विवाद उत्पन्न होता है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण से रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण नहीं करने व रास्ते की तरफ से प्रार्थीगण की भूमि की सीमा में हस्तक्षेप नहीं करने का निवेदन किया गया लेकिन अप्रार्थीगण ने कहा कि आप आपकी भूमि की पत्थरगढी हमारी मौजूदगी में करवाकर अपनी भूमि की सीमा पर पत्थर गढवाले/सीमा चिन्ह अंकित करवाले इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। प्रार्थीगण ने भूमि खसरा संख्या 375/320, 320/353, 321, 324 वाके ग्राम खेजडा की पत्थरगढी आपसी सहमति से करवाने हेतु तहसीलदार हिण्डोली से दिनांक 05.04.2022 को निवेदन किया गया लेकिन तहसीलदार साहब ने न्यायालय के आदेश के बिना भूमि की पत्थरगढी करने से इंकार कर दिया और पत्थरगढी की कार्यवाही उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली के न्यायालय में प्रस्तुत कर न्यायालय से आदेश लाने की कहने पर व पत्थरगढी करने से इंकार करने से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुती का कारण उत्पन्न हुआ है। प्रार्थीगण भूमि खसरा संख्या 375/320, 320/353, 321, 324 वाके ग्राम खेजडा के ख़ातेदार होने से प्रार्थीगण को अपनी उक्त खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने का अधिकार प्राप्त है। अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण के पडौसी काश्तकार होने से उक्त प्रकरण में अप्रार्थीगण को पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थीगण न्यायालय श्रीमान के आदेशानुसार पत्थरगढी की शुल्क राशि जमा कराने को तैयार है। श्रीमान को उक्त प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र उचित न्याय शुल्क एवं तलबाने पर प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 375/320, 320/353 व 321, 324 वाके ग्राम खेजडा पटवार मण्डल खेरखटा तहसील हिण्डोली की पत्थरगढी/सीमा चिन्ह अंकित करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण प्रस्तुत होने पर प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीगण जर्ये नोटिस तलब किए गए।

अप्रार्थीगण को पर्याप्त अवसर दिए जाने पर भी जबाव पेश नहीं करने से जबाव बन्द किए जाने के आदेश दिए गए।

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111 में प्रावधान निहित है कि किन्ही सीमाओं से सम्बन्धित किसी विवाद के मामले में लेण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर, जहॉ तक संभव हो वर्तमान सर्वेक्षण नक्शे के आधार पर ऐसे विवाद निपटायेगा और यह संभव न हो अथना ऐसे नक्शे उपलब्ध न हो तो वास्तविक क़ब्जे के आधार पर निपटायेगा। भू-प्रबन्धन कार्य समाप्त होने पर ऐसे विवाद कलक्टर द्वारा निपटाये जाऐंगे। राज्य सरकार ने अधि.सं. एफ. 4 (64) रे. बी. ग्रुप/62 दिनांक 12.06.1963 के द्वारा ये शक्तियॉ एस0डी0ओ0 को प्रत्यायोजित कर दी है।

उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली
हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

अभिभाषक प्रार्थीगण को सुना गया। बहस वकील प्रार्थीगण मुख्य रूप से प्रार्थना पत्र के अनुसार रही।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, वकील प्रार्थीगण द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत पर मनन किया। वादग्रस्त आराजी मुताबिक नकल, जमाबंदी संवत् 2076–79 वाके ग्राम खेजडा पटवार मण्डल खेरखटा तहसील हिण्डोली की खतौनी संख्या 48, 49, 50 के अनुसार प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है अर्थात् प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी के रिकार्डेड खातेदार है। कोई भी रिकार्डेड खातेदार अपनी खातेदारी भूमि की नियमानुसार शुल्क जमा करवाकर पत्थरगढी करवाने का कानूनन अधिकारी होता है। पत्थरगढी के प्रार्थना पत्र में किसी पक्षकार के हितों का निर्धारण नहीं किया जाना है। पत्थरगढी द्वारा केवल विवादित भूमि की सीमाओं को तय किया जाता है।

—: क्रियात्मक आदेश :—

अतः प्रार्थना—पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, हिण्डोली को निर्देश है कि आराजी खाता संख्या 48 के खसरा संख्या 375/320 रकबा 0.3237 हैक्टैयर, खाता संख्या 50 के खसरा संख्या 320/353 रकबा 1.3193 हैक्टेयर, खाता संख्या 49 के खसरा संख्या 321 रकबा 1.6835 हैक्टेयर, खसरा संख्या 324 रकबा 1.2302 वाके ग्राम खेजडा पटवार मण्डल खेरखटा जिला बून्दी जो कि प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजीयात की प्रार्थीगण से नियमानुसार शुल्क राजकोष में जमा करवाकर प्रार्थीगण व आराजी के पडौसी खातेदारान को सूचित करते हुए उनकी मौजूदगी में विवादित भूमि बाबत किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने की स्थिति में व उक्त आराजी में फसल मौजूद नहीं होने की स्थिति में मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर एवं कब्जे की स्थिति को यथावत रखते हुए पत्थरगढ़ी करवाये। पालनार्थ तहसीलदार, हिण्डोली को तहरीर जारी हो एवं पालना रिपोर्ट न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 28.11.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/11/2025

(शिवराज मीणा)
आर०ए०एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली (जिला बून्दी) राज.

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446